प्याज, आलू तथा दालों के निर्यात पर प्रतिबंध

107. **श्री कपिल सिंब्बल** :
श्री बरजिन्दर सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने प्याज, आलू तथा दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब लगाया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रतिबंध से पूर्व इन मदों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नही था;

(घ) यदि नही, तो इन मदों का निर्यात करने के लिये किन-किन मानदण्डों का पालन किया जाना आवश्यक था; और

(ड) चालू वर्ष में देश से प्याज, आलू तथा दालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व इनका कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ड) प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध दिनांक 12.10.98 को लगाया गया था और आलू का निर्यात दिनांक 27.10.98 को प्रतिबंधित किया गया था । दालों के निर्यात से संबंधित नीति में हाल ही में कोई परिवर्तन नही किया गया है ।

दिनांक 27.10.98 से पूर्व आलू का निर्यात मुक्त रूप से अनुमत था । दिनांक 12.10.98 से पूर्व प्याज का निर्यात-नाफेड के माध्यम से किया गया था । दालों का निर्यात 5 कि0ग्रा0 के उपभोक्ता पैकों में मुक्त रूप से हो रहा है ।

आवश्यक वस्तुओं के बारे में निर्यात और आयात संबंधी नीतियां समय-समय पर इन वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता तथा उनकी कीमतों को ध्यान में रख कर तैयार की जाती हैं ।

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों (अनंतिम) के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान (जनवरी से अक्तू; 1998 तक) निर्यात की गई प्याज की मात्रा 295183 मी0 टन है । (स्त्रोतः नाफेड जनवरी और जून, 1998) के बीच कुल 13,577 मी0 टन आलू का निर्यात किया गया है । अप्रैल और अगस्त, 1998 के बीच देश से कुल 52,471 मी0 टन दालों का निर्यात किया गया है । (स्त्रोतः डी जी सी आई एंड एस)

इस्पात संयंत्रों का नवीकरण

*108. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारों, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्रों के नवीकरण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या नवीकरण के पश्चात इस्पात उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह सच हैं कि सभी इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार घाटों को पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आधुनिकीकरण और प्रोद्योगिकीय उन्नयन की योजना पूरी हो गई है । बोकारो इस्पात संयंत्र में यह योजना कार्यान्वयनाधीन है । दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र में आधुनिकीकरणा और प्रोद्योगिकीय उन्नयन की योजनाओं पर अक्तूबर, 98 तक क्रमशः 4637.14* करोड़ रुपए और 1932* करोड़ रुपए खर्च हो चुके है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए इस प्रकार की कोई आधुनिकीकरण योजना शुरू नहीं की गई है ।

(ख) आधुनिकीकरण के बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है । बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण 1998-99 में पूरा किए जाने की अनुसूची है तथा उत्पादन पर इसके पूरे प्रभाव का पता उसके बाद चल पाएगा ।

(ग) सेल के सभी इस्पात संयंत्रों को हानि नही हो रही है ।

(घ) अपने संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए सेल ने कई कदम उठाए हैं । इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी आर्थिक प्राचलों में सुधार करके लागत में कमी करना, उद्यमशील और ग्राहकोन्मुखी विपणन के जरिए बिक्री बढ़ाना आदि शामिल है ।

इस्पात उद्योग में सुधार करने और वर्तमान समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है:-

(i) इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

(ii) आदान की लागत में कमी करने हेतु कई कच्ची सामग्रियों पर विशेष आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(iii) यूक्रेन और रूस से आयतित सप्त बेल्लित क्वायलों पर पाटन-रोधी शुल्क हाल ही में लगाया गया है।

(iv) निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात के लिए ड्यूटी इन्टाइटेलमेन्ट पास बुक (डी0ई0पी0बी0) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(v) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्पात क्षेत्र की परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था करने और ई0सी0बी0 मानदण्डों में छूट देने की सिफारिश की गई है।

(vii) इस्पात निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की जांच करने और सहायता करने के लिए सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

Loss making PSUs

*109. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the loss making Central Public Sector units in the country;

(b) the year since when these units are incurring losses;

(c) whether Government propose to privatise some of these units; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) As per available information, as on 31.3.97 there are 104 loss making enterprises in the central sector. The information was provided in the P.E. Survey 1996-97 laid on the Table of the House on 8.6.98.

(c) and (d) No proposal is under consideration to completely privatise central PSUs at present. However, Government has partially disinvested its equity in selected CPSUs.

Changes in laws Relating to Mining

*110. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Andhra Pradesh Government has urged the Centre to bring changes in laws relating to the mines excavation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to ban illegal mining?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) Yes Sir. With a view to streamline the procedure for grant/renewal of Prospecting Licences/Mining Leases and to reduce delays, various State Government including State Government of Andhra Pradesh requested the Central Government to bring changes in the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 and rules framed thereunder. The proposals received from State Governments were discussed by the Committee constituted under the Chairmanship of the then Secretary Ministry of Mines, Government of India with Mining Secretaries of State Governments of Orissa, Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Assam and Himachal Pradesh, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries,